संख्या-05/2018/224/41-2018-17 (बजट)/2017

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 17 जनवरी, 2018

विषय- जनपद वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-01/2018/4123/41-2017-17 (बजट)/2017, दिनांक 03 जनवरी, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 के उपप्रस्तर (1) ''उपर्युक्त कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण हेतु समस्त औपचारिक्ताओं यथा-वित्तीय एवं राजस्व नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा'' के सम्बन्ध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

''(1) उपर्युक्त कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण हेतु समस्त औपचारिक्ताओं यथा-वित्तीय एवं राजस्व विभाग द्वारा निर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेश आदि तथा भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण विषयक राजस्व अनुभाग-13 के शासनादेश संख्या 2/2015/215/एक-13-2015-20 (48)/2011, दिनांक 19 मार्च, 2015 में उल्लिखित प्रक्रिया/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथावश्यकता सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।''

भवदीय

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या-05/2018/224(1)/41-2018 दिनांक 17 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
4- जिलाधिकारी, वाराणसी।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, वाराणसी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।

8- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।

9- उप निदेशक, पर्यटन, आगरा ।

10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।

11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।